भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2461

10.12.2014 को उत्तर के लिए नियत

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति

2461. **श्री यदुवीर वाडियार:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने और अवसंरचना विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य और समय-सीमा सहित नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024 के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं;

(ख) इस नीति के कार्यान्वयन के बाद से अब तक वाहन के प्रकार-वार/क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार-ब्यौरे सहित इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में वृद्धि के आंकड़े क्या हैं;

(ग) कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के संबंध में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रभाव और इसके आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त नीति के तहत उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा तत्संबंध में राजसहायता, कर लाभ और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्यमंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ) **:** भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है। हालांकि,देश में इलेक्ट्रिक वाहन अंगीकरण को बढ़ावा देने और अवसंरचना विकास हेतु भारी उद्योग मंत्रालय ने 2024 में निम्नांकित नई स्कीमों को अधिसूचित किया है :-

i. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम** : 10,900 करोड़ रूपए परिव्यय वाली इस स्कीम को 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया है। इस दो-वर्षीय स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया वाहनों, ई-तिपहिया वाहनों, ई-ट्रकों, ई-बसों, ई-एम्बुलेंस तथा इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सहायता प्रदान करना और परीक्षण एजेंसियों का स्तरोन्नयन करना है।

ii. **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम** : 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रूपए है और इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) से भुगतान में विलंब की स्थिति में ई-बस प्रचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

iii. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम** : भारत में इलेक्ट्रिक कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होता है और तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन तथा पांचवे वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होता है।

****